

**उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन**

प्रेस विज्ञप्ति

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण एवं सहायक सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा वर्तमान में सहायक प्राध्यापक के 625 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष के 50 पद तथा क्रीड़ा अधिकारी के 25 पद पर नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का निर्धारण कर लिया गया है। साथ ही, विषयवार रिक्तियों का निर्धारण तथा उनका विस्तृत रोस्टर ब्रेक-अप भी तैयार कर लिया गया है। तैयार की गई विषयवार रिक्तियों तथा रोस्टर विवरण को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को आगे की भर्ती प्रक्रिया संचालित करने हेतु दिनांक 24.02.2026 को प्रेषित कर दिया गया है। विषय वार पदों की संख्या निम्नानुसार है;

पदनाम	विषय	पदों की संख्या
सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	50
	अंग्रेजी	50
	राजनीति शास्त्र	50
	अर्थशास्त्र	25
	समाजशास्त्र	50
	इतिहास	25
	भूगोल	25
	भौतिक शास्त्र	50
	गणित	50
	रसायन शास्त्र	50
	वनस्पति शास्त्र	50
	प्राणीशास्त्र	50
	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	15
	वाणिज्य	75
	विधि	10
	कुल पद	625
क्रीड़ा अधिकारी		25
ग्रंथपाल		50
कुल योग		700

इसके साथ ही विभाग द्वारा संबंधित पदों हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, भर्ती नियम, श्रेणीवार पदों की संख्या, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं विज्ञापन प्रारूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विभाग का मानना है कि इन पदों पर नियुक्ति से राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए विभाग द्वारा प्रत्येक स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदों के साथ-साथ ग्रंथपल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर भी लागू है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की शैक्षणिक बाधा का सामना न करना पड़े। विभाग द्वारा नियुक्त अधिकांश अतिथि शिक्षक पीएच.डी. उपाधिधारी तथा NET/SET जैसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं से योग्य हैं। ये शिक्षक वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।